



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62675

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 11400 वर्ष 2026

प्रवेन्द्र सिंह और 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्व बोर्ड, सर्किट कोर्ट और एक अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: शीतेंद्र कुमार मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 34

माननीय न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता

1. याचिकाकर्ता की ओर से श्री उमेश वत्स, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री जितेंद्र कुमार मिश्रा और राज्य की ओर से श्री जितेंद्र सिंह, अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता उपस्थित हुए।

2. याचिकाकर्ता ने यह याचिका दिनांक 07.02.2024 को कलेक्टर स्टाम्प द्वारा पारित आदेशों और दिनांक 09.01.2026 को मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकरण/राजस्व बोर्ड, परिपथ न्यायालय, आगरा द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विक्रय विलेख कृष्ण कुमार द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में 31.08.2018 को निष्पादित किया गया था। आगरा के एट्मादपुर स्थित उप रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के आधार पर, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के तहत याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई। 07.02.2024 के विवादित आदेश द्वारा, कलेक्टर स्टाम्प ने यह पाया कि उक्त भूमि वास्तव में सरकारी विभाग द्वारा अधिग्रहित भूमि थी, जिसका विक्रय विलेख उक्त कृष्ण कुमार द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में निष्पादित किया गया था। इसके मद्देनजर, धारा 47-ए के तहत कार्यवाही स्थगित कर दी गई। हालांकि, उसी आदेश द्वारा, कलेक्टर स्टाम्प ने एट्मादपुर स्थित उप-रजिस्ट्रार को उक्त विक्रय विलेख को जब्त करने और सक्षम न्यायालय के समक्ष विक्रय विलेख को रद्द करने और उसे शून्य घोषित करने के लिए कार्यवाही करने का निर्देश भी दिया। याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को भी दिनांक 09.01.2026 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के तहत, स्टाम्प कलेक्टर का अधिकार क्षेत्र बिक्री विलेख के निष्पादन और पंजीकरण के दौरान स्टाम्प की किसी भी कमी का निर्धारण करने तक सीमित है। वे उक्त दस्तावेज़ की वैधता की जांच नहीं कर सकते। इस प्रकार, उक्त बिक्री विलेख को जब्त करने के निर्देश पारित करके और उप रजिस्ट्रार को बिक्री विलेख को रद्द करने और उसे शून्य घोषित करने की कार्यवाही करने का निर्देश देकर, स्टाम्प कलेक्टर ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। इसके अलावा, कलेक्टर ने भू-माफिया विरोधी समिति को मामले की जांच करने के निर्देश पारित करने में भी गलती की है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि धारा 47-ए के तहत कार्यवाही की जांच करते समय, कलेक्टर स्टाम्प को यह जानकारी मिली कि उक्त भूमि वास्तव में सार्वजनिक सुरक्षा विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा अधिग्रहित भूमि थी, जिसके न तो विक्रेता और न ही खरीदार मालिक हैं, और विलेख सरकारी भूमि की बिक्री विलेख के निष्पादन से संबंधित है। इसे देखते हुए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के लिए कलेक्टर स्टाम्प द्वारा उपरोक्त निर्देश जारी किए गए हैं। अतः, राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेशों में कोई अवैधता नहीं है।

6. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के बाद, इस न्यायालय ने मामले के अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। उत्तर प्रदेश राज्य में लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि धारा 47-ए के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का दायरा केवल विलेख के पंजीकरण के समय निष्पादक द्वारा भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क की कमी की जांच करना है। उसे उपरोक्त से परे कोई क्षेत्राधिकार नहीं दिया गया है, सिवाय स्टाम्प शुल्क में किसी भी कमी की स्थिति में जुर्माना लगाने के। स्टाम्प कलेक्टर को विलेख की वैधता की जांच करने की शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। उपरोक्त के मद्देनजर, यह न्यायालय पाता है कि विक्रय विलेख को जप्त करने और विक्रय विलेख को रद्द करने की कार्यवाही करने के लिए उप रजिस्ट्रार को निर्देश देकर तथा मामले को भू-माफिया विरोधी समिति को संदर्भित करके स्टाम्प कलेक्टर ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है।

7. उपरोक्त के मद्देनजर, आगरा परिपथ न्यायालय, राजस्व बोर्ड द्वारा दिनांक 09.01.2026 को पारित आदेश और आगरा स्टाम्प कलेक्टर द्वारा दिनांक 07.02.2024 को पारित आदेश दोनों को **निरस्त** किया जाता है। यह याचिका तदनुसार **स्वीकार** की जाती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने दिनांक 31.08.2018 की विक्रय विलेख की वैधता के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की है। पीड़ित व्यक्ति, जिसमें यदि कोई सरकारी विभाग शामिल हैं, तो वे उक्त विक्रय विलेख की वैधता को कानून के अनुसार चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं।

(न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता)

25 मार्च, 2026

शुभम आर्य

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।